(2008) 2 S.C.R. 766

बादशाह एवं अन्य बनाम उत्तरप्रदेश राज्य

(फौजदारी अपील नंबर 554/2005)

फरवरी 12, 2008

(एस.बी. सिन्हा एवं हरजीत सिंह बेदी, न्यायाधीश)

भारतीय दंड संहित 1860, धारा 364 - हत्या करने के लिए अपहरण। हथियारों से लैस अभियुक्तगण पीड़ित को यह कहकर ले गये कि वे उसे मार देंगे - उसके बाद पीड़ित को कभी किसी के द्वारा जिंदा नहीं देखा गया हैं।

अभिनिर्धारित - धारा 364 के तहत अपराध बनता हैं - धारा 118 साक्ष्य अधिनियम के तहत उसे मृत अनुमानित किया जाता हैं परंतु मृत्यु के सबूत के अभाव में धारा 302 के तहत आरोप नहीं बनना पाया गया।

अभियोजन का यह प्रकरण था कि 'एस' पीड 03 व अन्य के साथ खेत पर सो रहा था तभी अपीलार्थी व अन्य अभियुक्त बंदुक लेकर वहां पहुंचे व 'एस' को पकड़कर को उठा लिया। अन्य व्यक्तियों द्वारा जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तब अभियुक्तगण द्वारा गोलीबारी कर भय व तनाव का माहौल उत्पन्न किया गया। अभियुक्तगण ने भी कहा कि 'एस'

का अपहरण उसकी मृत्यु कारित करने के लिए किया जा रहा हैं। होहल्ला सुनकर पीड 01, 'एस' का भाई मौके पर पहुंचा। 'एस' के लिए खोज की गई परंतु वह नहीं मिला। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें एस की जिंदगी को खतरे की आशंका बताई गई। विचारणीय न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 364 भारतीय दंड संहिता का अपराध कारित करने का दोषी माना व उसे सात वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश दिया जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई। अतः हस्तगत अपील।

अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

1. व्यक्ति का किस उद्येश्य के लिए व्यपहरण किया गया हैं इसका आशय व्यपहरण के पहले की, व्यपहरण के समय की तथा अपराध के घटित होेने के बाद की परिस्थितियों से समझा जा सकता हैं। मात्र व्यपहरण के कृत्य से यह नहीं समझा जा सकता हैं कि व्यपहरण किस उद्येश्य से किया गया हैं।

2. पक्षकारान के मध्य दुश्मनी थी यह तथ्य संदेह से परे हैं। पूर्व में दो फौजदारी प्रकरण अभियोजन गवाहान के विरूद्ध संस्थित करवाये गये थे। यह साबित हैं कि 'एस' उक्त फौजदारी मुकदमों को देख रहा था। यह तथ्य कि अपीलार्थीगण घटना स्थल पर उपस्थिति थे भी साबित हैं। अपीलार्थी ने ना केवल 'एस' को उठाया बल्कि उसे शारीरिक तौर से पूर्ण रूप से उठाकर ले गये और जब इसका विरोध हुआ तब उन्होंने हवा में

गोलीबारी की। निर्विवाद रूप से 'एस' को उसके बाद देखा नहीं गया हैं तथा नहीं उससे उसके परिवार के किसी सदस्य ने पिछले 27 वर्षों से सुना हैं। धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के तहत उसके मृत होने का अनुमान किया जाता हैं, परंतु उसकी मृत्यु कारित की गई हो के सबूत की अनुपस्थिति में धारा 302 भारतीय दंड संहिता का आरोप नहीं बनना पाया जाता हैं। यह तथ्य हैं कि घटना की दिनांक से 'एस' को न तो सुना गया हैं न ही देखा गया हैं ऐसे में कानून अनुमान करता हैं कि उसकी मृत्यु हो गई हैं।

3. अपीलार्थीगण की त्वरित गिरफ्तारी नहीं हो सकी। उनके संपत्ति की कूर्की व बेचान का वारंट जारी किया गया। यह भी महत्वपूर्ण हैं कि पीड 02 ने अपने बयानों में स्पष्ट कथन किया हैं कि अपीलार्थी ने यह कहा था कि वो लोग 'एस' को उसकी मृत्यु कारित करने के लिए ले जा रहे हैं। पीड 02 व पीड 03 के समान कथन हैं। पीड 02 ने यह भी स्पष्ट कथन किया हैं कि अपीलार्थीगण ने यह भी कहा था कि अगर हमें हमारी जान बचानी हैं तो भाग जाएं। उक्त अभियोजन गवाहान के साक्ष्य को निचली दोनों अदालत ने विश्वसनीय माना हैं तथा हमें उनसे भिन्न मत रखने का कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता हैं। अभियुक्तगण व 'एस' के मध्य गहरी दुश्मनी थी यह तथ्य साबित हैं। अभियुक्तगण घटना स्थल पर रात को हथियारों से लैस होकर आए व मृतक को यह कहकर ले गए कि वे उसे

मार देंगे तथा उसके बाद से मृतक को किसी के द्वारा जिंदा नहीं देखा गया, यह तथ्य हमारी राय में पर्याप्त हैं इस निष्कर्ष पर आने के लिए कि धारा 364 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण बनता हैं।

मुरलीधर व अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2005)11 एससीसी 133; राम गुलाम चौधरी व अन्य बनाम बिहार राज्य (2001)8 एससीसी 311; सूचा सिंह बनाम पंजाब राज्य (2001)4 एससीसी 375- निर्दिष्ट

4. अपहृत व्यक्ति के हत्या की स्थिति में, प्रत्यक्ष या अनुमानित साक्ष्य के जरिये सुरक्षित तरीके से उसकी हत्या का अनुमान किया जा सकता हैं तथा इसके लिए कॉर्प्स डेलेक्टि को साबित करना आवश्यक नहीं हैं। प्रकरण के तथ्य एवं न्यायिक दृष्टांत इस निष्कर्ष को जाते हैं कि उच्च न्यायालय से भिन्न मत वांछित नहीं हैं।

रामजी राय व अन्य बनाम बिहार राज्य (2006)8 स्केल 440 - निर्दिष्ट

फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार: फौजदारी अपील नंबर 554/2005

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा फौजदारी अपील संख्या 1879/1981 में पारित निर्णय व अंतिम आदेश दिनांकित 05.07.2004

अपीलार्थीगण की ओर से - प्रमोदस्वरूप

प्रत्यर्थीगण की ओर से - रत्नाकर दास, संदीप सिंह, अनुव्रत शर्मा एवं चन्द्र प्रकाश पांडे

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश एस.बी. सिन्हा द्वारा परिदत्त किया गया-

1. अपीलार्थीगण गांव सलामपुर, पुलिस थाना कुराओली, जिला मैनपुरी, उत्तरप्रदेश के निवासी हैं। उन पर धारा 364 भादस के तहत दिनांक 23.05.1980 समय रात्रि दस बजे के करीबन सुरजपाल सिंह का अपहरण कर उसकी हत्या करने का आरोप हैं। उक्त गांव की बहूसंख्यक आबादी या तो यादव जाति की हैं या कुमार जाति की हैं। अभियुक्तगण भी यादव जाति के ही हैं तथा अभियोजन पक्ष कुमार जाति के हैं। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन गवाहान के विरूद्ध दो फौजदारी प्रकरण दर्ज कराए गए जिनमें अभियोजन गवाहान बरी हुए। यह स्वीकृत तथ्य हैं कि सुरजपाल सिंह पुत्र जगालाल उक्त मुकदमा को देख रहा था।

2. एक प्रथम सूचना रिपोर्ट, सुरजपाल सिंह के भाई पीड 01 पहलवान सिंह द्वारा दिनांक 23.05.1980 समय करीबन 5ः15 पीएम पर इस आशय कि दर्ज कराई गई कि जब सुरजपाल सिंह, पीड 03 रामपाल, सुमेर सिंह, खेतल सिंह व पुतु लाल के साथ खेत पर सो रहा था जहां फसल की कटाई की हुई थी और तभी अपीलार्थीगण व बुद्धि खेत पर बंदुक लेकर पहुंचे और सुरजपाल सिंह को पकड़ा और और उसे उठा लिया।

उपस्थिति पुतुलाल, रामलाल व अन्य ने अभियुक्तगण को उक्त कृत्य के बारे में सवाल किया गया तथा विरोध किया गया तो अभियुक्तगण ने फायरिंग शुरू कर तनाव उत्पन्न कर दिया। अभियुक्तगण ने यह भी कथन किया कि वे सुरजपालसिंह का अपहरण उसकी हत्या करने के लिए कर रहे हैं। होहल्ला व गोलीबारी की आवाज सुनकर पहलवान सिंह मौके पर पहुंचा तब उसे अभियोजन गवाहान ने घटना के बारे में बताया। सुरजपाल सिंह की खोज करने के निष्फल प्रयास किए गए। सुरजपाल नहीं मिला और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें उसकी जान को खतरा होने का संदेह जाहिर किया गया।

3. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को धारा 364 भादस के अपराध को दोषी पाया व अपीलार्थीगण को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त संख्या 6 बुद्धि को दोषमुक्त घोषित किया गया।

4. अपीलार्थीगण द्वारा पेश अपील को उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के जरिये खारिज कर दिया गया।

5. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता श्री स्वरूप ने निवेदन किया कि इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं पेश हुई हैं कि सुरजपाल का अपहरण उसकी हत्या कारित करने के लिए किया गया जैसा कि धारा 364 भादस में परिकल्पित हैं, इसलिए आक्षेपित निर्णय व आदेश

अवैध हैं। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ज्यादा से ज्यादा धारा 365 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध बनना पाया जाता हैं।

6. श्री रत्नाकार दास विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

7. विचारणीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने आरोप को अस्वीकार किया तथा यह तर्क दिया कि अभियोजन गवाहान के पास वैध विद्युत आपूर्ति लाइन नहीं थी जिस कारण वे अभियुक्तगण को पहचान नहीं पाए। देरीना दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट भी संदेह उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया कि समस्त अभियोजन गवाहान हितबद्ध साक्ष्य हैं।

विद्वान विचारणीय न्यायाधीश ने पीड 01 व पीड 02 के बयानों के आधार पर यह बताया कि चूंकि विद्युत कनेक्शन हेतु समस्त शुल्क अदा कर दिया था इसलिए अभियोजन गवाहान को विद्युत कनेक्शन का उपयोग करने की अनुमति थी। अनुसंधान अधिकारी ने भी अपनी साक्ष्य में विद्युत कनेक्शन का होना पाया हैं। विद्वान विचारणीय न्यायाधीश ने पंचाग के आधार पर भी पाया गया कि घटना के रोज पूर्णिमा की रात थी तथा दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते थे और एक ही गांव के निवासी थे, इसलिए अपीलार्थीगण की अभियोजन गवाहान द्वारा सही तौर पर पहचान की गई।

8. विद्वान विचारणीय न्यायाधीश ने यह भी पाया कि पीड 01 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई देरी के संबंध में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया हैं कि उसके व अन्य के द्वारा अपहृत व्यक्ति की खोज की गई। इस तर्क के संबंध में कि समस्त अभियोजन गवाहान हितबद्ध साक्ष्य हैं न्यायालय ने यह जाहिर किया कि चूंकि गांव में लोगों के दो गुट थे ऐसे में स्वतंत्र गवाहान उपलब्ध नहीं थे और पीड 02 को स्वतंत्र गवाह माना गया हैं।

9. उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निष्कर्ष की पुष्टि जरिये आपेक्षित आदेश के की गई।

10. विधिक बिन्दु पर जाने से पहले व्यपहरण व अपहरण की परिभाषा को देखा जा रहा हैं जो कि धारा 359 व 362 भारतीय दंड संहिता में निम्नानुसार दी गई हैं।

> "359 व्यपहरण- व्यपहरण दो किस्म का होता है: भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण।
>
> 362 अपहरण - जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, या किन्हीं प्रवंचना पूर्ण उपायों द्वारा उतप्रेरित करता हैं, व उस व्यक्ति का अपहरण करता हैं, यह कहा जाता हैं।"

हम धारा 364 भारतीय दंड संहिता को भी देखते हैं जो निम्नानुसार हैः

> "364 हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण - जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसका ऐसे व्ययनित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, व आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

11. उक्त अपराध के निम्न तत्त्व हैं (1) अभियुक्त द्वारा व्यपहरण साबित होना चाहिए, (2) यह भी साबित होना चाहिए कि व्यपहरण इसलिए किया गया कि, (ए) ऐसे व्यक्ति की हत्या की जा सके या, (बी) ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्ययनित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए।

व्यक्ति का किस उद्येश्य के लिए व्यपहरण किया गया हैं इसका आशय व्यपहरण के पहले की, व्यपहरण के समय की तथा अपराध के घटित होेने के बाद की परिस्थितियों से समझा जा सकता हैं। मात्र व्यपहरण के कृत्य से यह नहीं समझा जा सकता हैं कि व्यपहरण किस उद्येश्य से किया गया हैं।

12. पक्षकारान के मध्य दुश्मनी थी यह तथ्य संदेह से परे हैं। दो फौजदारी प्रकरण अभियोजन गवाहान के विरूद्ध संस्थित करवाये गये थे। यह साबित हैं कि सुरजपाल सिंह उक्त फौजदारी मुकदमों को देख रहा था। यह तथ्य कि अपीलार्थीगण घटना स्थल पर उपस्थिति थे भी साबित हैं। अपीलार्थी ने ना केवल सुरजपाल सिंह को उठाया बल्कि उसे शारीरिक तौर से पूर्ण रूप से उठाकर ले गये और जब इसका विरोध हुआ तब उन्होंने हवा में गोलीबारी की।

13. निर्विवाद रूप से सुरजपाल सिंह को उसके बाद देखा नहीं गया हैं तथा नहीं उससे उसके परिवार के किसी सदस्य ने पिछले 27 वर्षो से सुना हैं। धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के तहत उसके मृत होने का अनुमान किया जाता हैं, परंतु उसकी मृत्यु कारित की गई हो के सबूत की अनुपस्थिति में धारा 302 भारतीय दंड संहिता का आरोप नहीं बनना पाया जाता हैं। यह तथ्य हैं कि घटना की दिनांक से सुरजपाल को न तो सुना गया हैं न ही देखा गया हैं ऐसे में कानून अनुमान करता हैं कि उसकी मृत्यु हो गई हैं।

14. हालांकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24.05.1988 को दर्ज कर दी गई थी परंतु अनुसंधान अधिकारी अपीलार्थीगण को उनके घर पर नहीं पाया, जिस कारण उनकी त्वरित गिरफ्तारी नहीं हो सकी। संपत्ति की कूर्की

व बेचान का वारंट जारी किया गया तथा मुलायम सिंह को दिनांक 28.06.1988 को गिरफ्तार किया गया।

यह भी महत्वपूर्ण हैं कि पीड 02 ने अपने बयानों में स्पष्ट कथन किया हैं कि अभियुक्त संख्या 01 बादशाह ने यह कहा था कि वो लोग सुरजपाल सिंह को उसकी मृत्यु कारित करने के लिए ले जा रहे हैं। पीड 02 के समान कथन पीड 03 ने भी किए हैं। पीड 02 ने यह भी स्पष्ट कथन किया हैं कि अपीलार्थीगण ने यह भी कहा था कि अगर हमें हमारी जान बचानी हैं तो भाग जाएं।

15. उक्त अभियोजन गवाहान के साक्ष्य को निचली दोनों अदालत ने विश्वसनीय माना हैं तथा हमें उनसे भिन्न मत रखने का कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता हैं। अभियुक्तगण व सुरजपाल सिंह के मध्य गहरी दुश्मनी थी यह तथ्य साबित हैं। अभियुक्तगण घटना स्थल पर रात को हथियारों से लैस होकर आए व मृतक को यह कहकर ले गए कि वे उसे मार देंगे तथा उसके बाद से मृतक को किसी के द्वारा जिंदा नहीं देखा गया, यह तथ्य हमारी राय में पर्याप्त हैं इस निष्कर्ष पर आने के लिए कि धारा 364 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण बनता हैं।

16. सबुत का भार किस पर रहेगा यह प्रश्न प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करता हैं, हम इस प्रकम पर इस बिंदु से संबंधित कुछ निर्णयों का उल्लेख करेंगे।

मुरलीधर एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2005) 11 एससीसी 133, में यह न्यायालय इस आधार पर चला कि जहां अभियोजन पक्ष ने खुद पर अपहृत बालक की हत्या को साबित करने का जिम्मा चश्मदीद गवाहान के जरिये उठाया हैं वहां धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। विभिन्न परिस्थितियों जिन्हें अभियोजन पक्ष ने साबित करना चाहा व साबित नहीं होनी अभी निर्धारित की गई। उक्त परिप्रेक्ष्य में धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने पाए गए।

17. तथापि, रामगुलाम चौधरी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (2001)8 एससीसी 311 में इस न्यायालय ने अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि की पुष्टि की जहां उन द्वारा बालक पर निर्दयी तरीके से हमला किए जाने का आरोप था। बालक को जिंदा पाये जाने पर बालक की छाती पर एक चाकू का वार कर बालक को ले गए। न्यायालय ने सबुत का भार अभियुक्त पर माना एवं कथन किया कि ;

> "हालांकि अन्यथा हमारे मत में इस प्रकरण में धारा 106 साक्ष्य अधिनियम लागू होगी। कृष्णानंद चौधरी पर निर्दयी हमला हुआ और इसके बाद उसकी छाती पर चाकू का घाव दिया गया जो तब दिया गया जब बिजोय चौधरी ने कहा कि "यह अभी भी जिंदा हैं और इसे मार देना चाहिए।" उसके

बाद अपीलार्थी उसका शव लेकर चले गये और कृष्णानंद चौधरी को क्या हुआ यह विशेषकर अपीलार्थी के ज्ञान में हैं। अपीलार्थीगण ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया हैं कि उन्होंने शव ले जाने के बाद क्या किया। कृष्णानंद चौधरी को जिंदा नहीं देखा गया हैं। स्पष्टीकरण के अभाव में वह इस तथ्य के मध्येनजर की अपीलार्थीगण संदेह था कि उन्होंने बालक का अपहरण कर उसकी हत्या की हैं। यह अपीलार्थीगण पर था कि वो स्पष्ट करें कि उन्होंने बालक को ले जाने के बाद उसके साथ क्या किया, जब अपहरणकर्ताओं ने न्यायालय से यह जानकारी छुपाई हैं तब यह अनुमान लगाना उचित हैं कि उन्होंने बालक की हत्या की। हालांकि धारा 106 साक्ष्य अधिनियम को अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने के दायित्व से निंमुक्त करने के उद्येश्य से नहीं उपयोग किया जा सकता परंतु जहां अभियोजन पक्ष ऐसे तथ्य साबित करने में सफल हो गया हैं जिनसे मृत्यु के बारे में उचित अनुमान लगाया जा सके वहां धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उपयोग किया जा सकता हैं। अपीलार्थी को अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर ऐसा

स्पष्टीकरण पेश करना चाहिए जो न्यायालय को एक भिन्न अनुमान लगाने को प्रेरित करें। इसलिए हम श्री मिश्रा के तर्क में कोई ठोस आधार नहीं देखते हैं।"

18. सुचा सिंह बनाम पंजाब राज्य (2001)4 एससीसी 375, में धारा 106 साक्ष्य अधिनियम को ऐसी परिस्थिति में लागू होना बताया जहां अभियोजन पक्ष ऐसे तथ्य साबित करने में सफल रहा. हैं जिसके संबंध में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कुछ अन्य तथ्यों का अस्तित्व जब तक कि आरोपी ऐसे तथ्यों के बारे में उसके विशेष ज्ञान के आधार पर कोई स्पष्टीकरण देने में विफल न हो जाए जो अदालत को अलग स्पष्टीकरण देने के लिए प्रेरित कर सके।

19. अपहृत व्यक्ति के हत्या की स्थिति में, प्रत्यक्ष या अनुमानित साक्ष्य के जरिये सुरक्षित तरीके से उसकी हत्या का अनुमान किया जा सकता हैं तथा इसके लिए कॉर्प्स डेलेक्टि को साबित करना आवश्यक नहीं हैं।

रामजी राय व अन्य बनाम बिहार राज्य (2006 (8) स्केल 440) में इस न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि यह सुस्थापित विधि हैं कि कॉर्पस डेलेक्टि को साबित करने की आवश्यकता नहीं हैं। मृत शरीर की खोज सावधानी का नियम है, कानून का नहीं हैं। जिस परस्थितियों में मजबूत

परिस्थिति जन्य साक्ष्य उपलब्ध हैं वहां दोषसिद्धि का निर्णय मृत शरीर की अनुपस्थिति में लिखा जा सकता हैं।

20. प्रकरण के तथ्य एवं पूर्व में निर्दिष्ट न्यायिक दृष्टांतों को साथ में देखे जाने पर हमारे मत में यह निष्कर्ष आता है उच्च न्यायालय से भिन्न मत न्याय हित में वांछित नहीं हैं।

21. अतः यह अपील खारिज की जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनिषा चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।